Original Article
ISSN(Online): 2584-0983
https://shikshasamvad.com/

Shiksha Samvad
International Open Access, Peer Reviewed & Refereed Journal
© Shiksha Samvad|Volume-04| Issue-01| September- 2026
DOI: - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.22

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व: डॉ. भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद की दार्शनिक आधारभूमि

अरविन्द कुमार यादव[1] , डॉ. शैलेश कुमार[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा।

[2]शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा।

Email: aky82951@gmail.com, **Email:** sg7906777@gmail.com

सारांश

डॉ. भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवादी चिंतन भारतीय समाज की ऐतिहासिक असमानताओं, जाति-आधारित विभाजन, लोकतांत्रिक नागरिकता और सामाजिक न्याय के प्रश्नों से गहराई से जुड़ा है। उनके लिए राष्ट्र केवल भू-राजनीतिक इकाई अथवा साझा राजनीतिक सत्ता नहीं था; लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों के बीच स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक संबंध आवश्यक थे। प्रस्तुत शोध-लेख अंबेडकर के राष्ट्रवाद की दार्शनिक आधारभूमि के रूप में इन तीन सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। अध्ययन ऐतिहासिक, दार्शनिक और विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा अंबेडकर के मूल लेखन, विशेषतः Annihilation of Caste, The Buddha and His Dhamma, States and Minorities और संविधान सभा में उनके भाषणों को प्राथमिक स्रोत मानता है। 25 नवम्बर 1949 के संविधान सभा भाषण में अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग-अलग सिद्धांत न मानकर एक अविभाज्य त्रयी के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समानता से पृथक स्वतंत्रता कुछ लोगों के प्रभुत्व को जन्म दे सकती है, स्वतंत्रता से पृथक समानता व्यक्तिगत पहल को बाधित कर सकती है, और बंधुत्व के बिना दोनों को सामाजिक जीवन में स्वाभाविक आधार नहीं मिल सकता। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि अंबेडकर के राष्ट्रवाद की लोकतांत्रिक शक्ति इसी त्रयी में निहित है: स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वायत्तता को, समानता समान नागरिक गरिमा को और बंधुत्व साझा राष्ट्रीय जीवन को आधार प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: डॉ. बी. आर. अंबेडकर, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, संवैधानिक लोकतंत्र।

1. प्रस्तावना

आधुनिक भारत के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में डॉ. भीमराव अंबेडकर का स्थान विशिष्ट है। उन्होंने औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रश्न को भारतीय समाज के भीतर मौजूद जातिगत असमानता, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्करण और प्रतिनिधित्व की समस्याओं से जोड़कर देखा। इस कारण उनका राष्ट्रवाद केवल विदेशी शासन से मुक्ति की आकांक्षा तक सीमित नहीं रहता। वह यह प्रश्न भी उठाता है कि स्वतंत्र राष्ट्र के भीतर नागरिकों के आपसी संबंध किस प्रकार के हों और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे।

अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र केवल चुनाव, प्रतिनिधित्व या संसदीय शासन की तकनीक नहीं था। लोकतंत्र की सामाजिक आधारभूमि भी आवश्यक थी। 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम प्रमुख भाषण में उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को ऐसी जीवन-पद्धति बताया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। उन्होंने इन तीनों को अलग-अलग इकाइयों के बजाय एक संयुक्त

त्रयी माना। यही त्रयी उनके सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के साथ-साथ राष्ट्र संबंधी दृष्टि को समझने का भी प्रभावी दार्शनिक आधार प्रदान करती है।

अंबेडकर के लिए राष्ट्र की एकता का प्रश्न बंधुत्व से विशेष रूप से जुड़ा था। समान नागरिकता के बिना राष्ट्र की सदस्यता असमान हो सकती है और सामाजिक बंधुत्व के बिना राजनीतिक एकता केवल औपचारिक रह सकती है। इसलिए उनके राष्ट्रवाद का अध्ययन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के परस्पर संबंध के माध्यम से करना भारतीय लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण की वैचारिक संरचना को समझने में उपयोगी है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. अंबेडकर के राष्ट्रवाद की दार्शनिक आधारभूमि का अध्ययन करना।
2. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अंबेडकरवादी अवधारणाओं का विश्लेषण करना।
3. इन तीनों मूल्यों के पारस्परिक संबंध को सामाजिक लोकतंत्र और राष्ट्र-निर्माण के संदर्भ में स्पष्ट करना।
4. जाति-व्यवस्था, सामाजिक न्याय और संवैधानिक लोकतंत्र के संदर्भ में इस त्रयी के निहितार्थों का अध्ययन करना।
5. समकालीन भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता का विवेचन करना।

3. अंबेडकर के राष्ट्रवाद की दार्शनिक प्रकृति

अंबेडकर के राष्ट्रवाद को समझने के लिए राष्ट्र और समाज के बीच संबंध पर ध्यान देना आवश्यक है। एक राज्य राजनीतिक सीमाओं और संस्थाओं के माध्यम से संगठित हो सकता है, किंतु राष्ट्र के लिए नागरिकों में साझा सदस्यता और सामाजिक एकजुटता की अनुभूति भी आवश्यक है। अंबेडकर ने जाति-व्यवस्था की आलोचना करते हुए दिखाया कि जन्म-आधारित पृथक्करण और श्रेणीबद्ध असमानता व्यापक सामाजिक चेतना के निर्माण में बाधा डालती है। इस प्रकार राष्ट्रवाद उनके लिए केवल राजनीतिक संप्रभुता का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों के लोकतंत्रीकरण का भी प्रश्न बन जाता है।

उनका चिंतन व्यक्ति की गरिमा और सामूहिक एकता को विरोधी नहीं मानता। स्वतंत्रता व्यक्ति को विचार और क्रिया की स्वायत्तता देती है; समानता यह सुनिश्चित करती है कि किसी की नागरिक स्थिति जन्मगत श्रेणी से निर्धारित न हो; और बंधुत्व स्वतंत्र व्यक्तियों को साझा समुदाय में जोड़ता है। इन तीनों के समन्वय से ऐसा राष्ट्रवाद विकसित होता है जिसमें राष्ट्रीय एकता व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त किए बिना और विविधता को दबाए बिना संभव होती है।

4. स्वतंत्रता: व्यक्ति की गरिमा और लोकतांत्रिक नागरिकता

अंबेडकर के दर्शन में स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से राजनीतिक मुक्ति नहीं है। यह व्यक्ति की बौद्धिक, सामाजिक और नागरिक स्वायत्तता से जुड़ी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आवागमन, व्यवसाय और सार्वजनिक सहभागिता की स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतांत्रिक नागरिक बनाती है। ऐसी स्वतंत्रता विशेष रूप से उस समाज में महत्वपूर्ण है जहाँ जाति और परंपरा व्यक्ति के पेशे, सामाजिक संबंध और जीवन के अवसरों को जन्म के आधार पर सीमित करती रही हों।

Annihilation of Caste में अंबेडकर की जाति-विरोधी आलोचना स्वतंत्रता के इसी सामाजिक आयाम को सामने लाती है। जाति व्यक्ति के विकल्पों को सीमित करती है और सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता केवल राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति नहीं, बल्कि उन सामाजिक संरचनाओं से मुक्ति भी है जो व्यक्ति को जन्मगत भूमिका में बाँधती हैं। राष्ट्रवाद के संदर्भ में इसका अर्थ है कि स्वतंत्र राष्ट्र तभी सार्थक है जब उसके नागरिक भी पर्याप्त सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता का अनुभव करें।

अंबेडकर का स्वतंत्रता-विचार निरंकुश व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं करता। स्वतंत्रता सामाजिक उत्तरदायित्व और अन्य नागरिकों के समान अधिकारों से सीमित तथा संतुलित होती है। इसीलिए स्वतंत्रता को समानता और बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता।

5. समानता: राष्ट्र की समान सदस्यता का सिद्धांत

समानता अंबेडकर के सामाजिक दर्शन का केंद्रीय मूल्य है। भारतीय जाति-व्यवस्था की उनकी आलोचना मूलतः श्रेणीबद्ध असमानता की आलोचना है। जाति में असमानता केवल आर्थिक संसाधनों की नहीं, बल्कि सम्मान, सामाजिक स्थिति, अवसर और मानव संबंधों की भी होती है। इस संरचना में विभिन्न समूहों को जन्म से अलग-अलग सामाजिक मूल्य प्रदान किया जाता है। ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक नागरिकता के सिद्धांत से टकराती है, क्योंकि लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक मूल्य प्रदान करता है।

25 नवम्बर 1949 के भाषण में अंबेडकर ने राजनीतिक जीवन में समानता और सामाजिक-आर्थिक जीवन में असमानता के अंतर्विरोध की ओर ध्यान दिलाया। सार्वभौमिक मताधिकार 'एक व्यक्ति, एक मत' की राजनीतिक समानता स्थापित करता है, लेकिन यदि सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति के मूल्य को जन्म के आधार पर असमान बनाती रहे तो लोकतंत्र की सामाजिक जड़ें कमजोर रहती हैं। इसीलिए समानता राष्ट्रवाद के लिए भी आवश्यक है: राष्ट्र की सदस्यता तभी साझा और विश्वसनीय होती है जब नागरिक स्वयं को समान गरिमा वाले सदस्य के रूप में देख सकें।

अंबेडकर की समानता यांत्रिक समानता नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्यों की व्यक्तिगत विविधताओं को नकारना नहीं, बल्कि जन्मगत विशेषाधिकार, भेदभाव और अवसरों की अनुचित असमानता को चुनौती देना है। इस दृष्टि में सामाजिक न्याय समानता को व्यवहार में लाने का संस्थागत साधन बनता है।

6. बंधुत्व: राष्ट्रवाद का सामाजिक और नैतिक आधार

अंबेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन में बंधुत्व की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता और समानता को विधि द्वारा मान्यता दी जा सकती है, किंतु नागरिकों के बीच आत्मीय सामाजिक संबंध केवल कानून के आदेश से उत्पन्न नहीं होते। बंधुत्व उस नैतिक चेतना को व्यक्त करता है जिसमें व्यक्ति दूसरे नागरिक को समान मानव गरिमा और साझा समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है।

25 नवम्बर 1949 के भाषण में अंबेडकर ने बंधुत्व को सभी भारतीयों में साझा भाईचारे की भावना से जोड़ा और इसे सामाजिक जीवन की एकता तथा एकजुटता के लिए आवश्यक माना। यह राष्ट्रवाद के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि समाज अनेक पृथक और श्रेणीबद्ध समूहों में विभाजित हो तथा उनके बीच परस्पर सम्मान का अभाव हो, तो राजनीतिक सीमाएँ अकेले गहरी राष्ट्रीय एकता उत्पन्न नहीं कर सकतीं।

बंधुत्व एकरूपता की माँग नहीं करता। लोकतांत्रिक बंधुत्व का अर्थ यह है कि भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और संस्कृति की भिन्नताओं के बावजूद नागरिक साझा राजनीतिक समुदाय में एक-दूसरे की समान सदस्यता स्वीकार करें। इस अर्थ में अंबेडकर का बंधुत्व बहुलतावादी राष्ट्र की नैतिक आधारभूमि बनता है।

7. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अविभाज्य त्रयी

अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक योगदान इन तीन मूल्यों की पारस्परिक निर्भरता की व्याख्या है। संविधान सभा में उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग-अलग नहीं माना जा सकता। समानता से स्वतंत्रता को अलग करने पर स्वतंत्रता कुछ लोगों के बहुतों पर प्रभुत्व का माध्यम बन सकती है; स्वतंत्रता से समानता को अलग करने पर समानता व्यक्तिगत पहल को सीमित कर सकती है; और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता तथा समानता को सामाजिक व्यवहार में स्वाभाविक रूप से लागू करना कठिन हो जाता है।

इस त्रयी में व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन दिखाई देता है। स्वतंत्रता व्यक्ति को केंद्र में रखती है, समानता सभी व्यक्तियों की समान गरिमा को स्थापित करती है और बंधुत्व उन्हें एक साझा सामाजिक समुदाय में जोड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद न तो व्यक्ति को सामूहिकता में विलीन करता है और न ही समाज को अलग-अलग व्यक्तियों का यांत्रिक समूह मानता है।

यही कारण है कि अंबेडकर का राष्ट्रवाद सामाजिक लोकतंत्र से जुड़ता है। राजनीतिक संस्थाएँ लोकतांत्रिक हो सकती हैं, परंतु यदि सामाजिक जीवन में यह त्रयी अनुपस्थित हो तो लोकतंत्र का आधार अस्थिर रहता है।

8. बौद्ध दर्शन और स्वतंत्रता-समानता-बंधुत्व

अंबेडकर ने अपने वैचारिक जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध के धम्म को सामाजिक नैतिकता और मानव मुक्ति की दृष्टि से पुनर्व्याख्यायित किया। उनके कथनों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उनकी समझ को केवल यूरोपीय राजनीतिक क्रांतियों से जोड़ना पर्याप्त नहीं है; उन्होंने इन मूल्यों की दार्शनिक प्रेरणा बुद्ध की शिक्षाओं में भी देखी। The Buddha and His Dhamma में तर्क, नैतिकता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर उनका बल इसी दिशा को व्यक्त करता है।

अंबेडकर की बौद्ध व्याख्या में बंधुत्व का निकट संबंध मैत्री और करुणा जैसी नैतिक प्रवृत्तियों से है। समानता मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करती है और स्वतंत्रता विवेक तथा आत्मनिर्णय के लिए स्थान बनाती है। इस दृष्टि से उनकी त्रयी केवल राजनीतिक संस्थाओं का सिद्धांत नहीं, बल्कि सामाजिक आचरण की नैतिक परियोजना भी है।

राष्ट्रवाद के लिए इसका निहितार्थ यह है कि स्थायी राष्ट्रीय एकता केवल विधिक बाध्यता से नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच नैतिक पारस्परिकता से निर्मित होती है। अंबेडकर की बौद्ध प्रेरणा उनके राष्ट्रवाद को मानवीय गरिमा और सामाजिक नैतिकता की व्यापक भूमि प्रदान करती है।

9. जाति का उन्मूलन और राष्ट्र-निर्माण

अंबेडकर ने जाति को भारतीय समाज की लोकतांत्रिक एकता के लिए गंभीर बाधा माना। जाति व्यक्तियों को पृथक सामाजिक समूहों में विभाजित करती है और समूहों के बीच श्रेणीबद्ध संबंध बनाती है। ऐसी स्थिति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों को प्रभावित करती है: व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जन्मगत सीमाएँ लगती हैं, सामाजिक समानता का निषेध होता है और बंधुत्व की व्यापक भावना कमजोर पड़ती है।

इसलिए जाति-उन्मूलन अंबेडकर के राष्ट्रवाद में केवल सामाजिक सुधार का कार्यक्रम नहीं माना जा सकता। यह लोकतांत्रिक राष्ट्र के सामाजिक आधार के पुनर्निर्माण की परियोजना है। जब नागरिकों के बीच संपर्क, अवसर और सम्मान जाति की बंद सीमाओं से मुक्त होते हैं, तब साझा नागरिकता अधिक वास्तविक बन सकती है।

इस दृष्टि से सामाजिक न्याय और राष्ट्र-निर्माण परस्पर पूरक हैं। अन्याय को छिपाकर निर्मित एकता सतही हो सकती है, जबकि न्यायपूर्ण संबंध विविध समूहों में विश्वास और साझा सदस्यता को मजबूत कर सकते हैं।

10. सामाजिक लोकतंत्र और राष्ट्रवाद

अंबेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रयी का व्यावहारिक सामाजिक रूप है। राजनीतिक लोकतंत्र नागरिक को मताधिकार और प्रतिनिधित्व देता है; सामाजिक लोकतंत्र उसे दैनिक जीवन में समान गरिमा और सहभागिता का अनुभव देने की दिशा में कार्य करता है। दोनों के बीच दूरी बढ़ने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर्विरोध उत्पन्न होता है।

राष्ट्रवाद के संदर्भ में सामाजिक लोकतंत्र का महत्त्व यह है कि वह राष्ट्रीय समुदाय की सदस्यता को वास्तविक बनाता है। यदि कुछ नागरिक कानूनी रूप से राष्ट्र के सदस्य हों, लेकिन सामाजिक व्यवहार में उन्हें अपमान, अस्पृश्यता या बहिष्करण का सामना करना पड़े, तो उनकी राष्ट्रीय सदस्यता का अनुभव कमजोर हो सकता है। अतः राष्ट्र की एकता को सामाजिक न्याय से अलग नहीं किया जा सकता।

अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र राष्ट्रीय एकता को नीचे से निर्मित करता है—व्यक्ति की गरिमा, समान अवसर, पारस्परिक सम्मान और लोकतांत्रिक सहभागिता के माध्यम से।

11. संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता

भारत का संविधान अंबेडकर की संपूर्ण व्यक्तिगत रचना नहीं था; वह संविधान सभा की सामूहिक प्रक्रिया का परिणाम था। फिर भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रमुख संवैधानिक विचारक के रूप में अंबेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनके भाषण संविधान की संस्थागत व्यवस्था और सामाजिक लोकतंत्र के संबंध को स्पष्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, समानता, प्रतिनिधिक शासन और संवैधानिक उपचार लोकतांत्रिक नागरिकता को विधिक आधार देते हैं।

अंबेडकर की दृष्टि में संविधान तभी प्रभावी हो सकता है जब उसके पीछे लोकतांत्रिक सामाजिक संस्कृति हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के पाठ और सामाजिक व्यवहार के बीच मूल्यगत सेतु का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय एकता भी तभी स्थायी हो सकती है जब नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त समान स्थिति पर विश्वास करें और संस्थाएँ उनके अधिकारों की निष्पक्ष रक्षा करें।

इसलिए अंबेडकर के राष्ट्रवाद को संवैधानिक राष्ट्रवाद की दिशा में भी पढ़ा जा सकता है—ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रक्रियाओं के सम्मान से जुड़ती है।

12. समकालीन भारत में प्रासंगिकता

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रयी आज भी भारतीय लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण वैचारिक ढाँचा प्रदान करती है। अभिव्यक्ति और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक भेदभाव का निराकरण और विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक सम्मान लोकतांत्रिक राष्ट्र की निरंतर आवश्यकताएँ हैं। इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता किसी एक सरकार या दल तक सीमित नहीं है; वे राज्य, राजनीतिक संस्थाओं और नागरिक समाज सभी के लिए लोकतांत्रिक मानदंड हैं।

भारत की बहुलता बंधुत्व के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित करती है। विविध पहचानें राष्ट्रीय एकता की बाधा तभी बनती हैं जब उनके बीच असमानता, अविश्वास या बहिष्करण स्थायी रूप ग्रहण करे। समान नागरिक गरिमा और संवैधानिक अधिकार विविधताओं को साझा राजनीतिक समुदाय के भीतर सह-अस्तित्व का आधार दे सकते हैं।

अंबेडकर की त्रयी नागरिक शिक्षा के लिए भी उपयोगी है। लोकतंत्र केवल अधिकारों की जानकारी नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान, समानता की स्वीकृति और बंधुत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार की संस्कृति की माँग करता है। इस प्रकार उनके विचार राष्ट्रवाद को केवल भावनात्मक निष्ठा के बजाय लोकतांत्रिक नागरिकता के दैनिक अभ्यास से जोड़ते हैं।

13. विमर्श

अंबेडकर के राष्ट्रवाद की दार्शनिक विशेषता यह है कि वह व्यक्ति की मुक्ति और राष्ट्रीय एकता के बीच कृत्रिम विरोध नहीं बनाता। स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वायत्त बनाती है, लेकिन समानता यह सुनिश्चित करती है कि स्वायत्तता विशेषाधिकार में न बदले; बंधुत्व स्वतंत्र और समान व्यक्तियों को सामाजिक सहयोग में जोड़ता है। इस प्रकार राष्ट्र की एकता अधिकारों को सीमित करके नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण संबंध विकसित करके प्राप्त की जाती है।

यह दृष्टिकोण राष्ट्रवाद को सामाजिक न्याय के प्रति उत्तरदायी बनाता है। राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण केवल साझा अतीत या राजनीतिक सीमा से नहीं, बल्कि साझा लोकतांत्रिक भविष्य से भी होता है। अंबेडकर का चिंतन इस भविष्य के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को आधारभूत मूल्य प्रस्तुत करता है।

इन मूल्यों की पारस्परिकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसी एक मूल्य को अन्य दो से अलग करके अधिकतम करने का प्रयास लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अंबेडकर का दार्शनिक ढाँचा इसी कारण समग्र है: वह व्यक्ति, समाज और राज्य के संबंधों को एक ही नैतिक-राजनीतिक संरचना में समझने का प्रयास करता है।

14. निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद की दार्शनिक आधारभूमि को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अविभाज्य त्रयी में समझा जा सकता है। उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक व्यक्ति सामाजिक बंधनों और जन्मगत अपमान से मुक्त न हो; समान नागरिकता तब तक अपूर्ण है जब तक सामाजिक जीवन में श्रेणीबद्ध असमानता बनी रहे; और स्वतंत्रता तथा समानता तब तक स्थायी सामाजिक मूल्य नहीं बन सकते जब तक नागरिकों में बंधुत्व और साझा सदस्यता की भावना विकसित न हो।

अंबेडकर की जाति-व्यवस्था की आलोचना, सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा, संवैधानिक दृष्टि और बौद्ध धम्म की उनकी पुनर्व्याख्या इन तीनों मूल्यों को एक व्यापक मानवीय परियोजना में जोड़ती है। उनका राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता को सामाजिक न्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं करता, बल्कि न्याय को स्थायी एकता की आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार अंबेडकर के लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र एक सतत निर्माणाधीन सामाजिक समुदाय है। उसकी शक्ति केवल राज्य की संस्थाओं में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि नागरिक कितनी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, उन्हें कितनी समान गरिमा प्राप्त है और वे एक-दूसरे के साथ किस सीमा तक बंधुत्वपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। यही त्रयी अंबेडकर के राष्ट्रवाद को लोकतांत्रिक, समावेशी और मानव-गरिमा केंद्रित दार्शनिक आधार प्रदान करती है।

संदर्भ सूची (APA शैली)

- अंबेडकर, बी. आर. (1936/2014). जाति का विनाश (Annihilation of caste). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (खंड 1) में। महाराष्ट्र सरकार।
- अंबेडकर, बी. आर. (1947/2014). राज्य और अल्पसंख्यक (States and minorities). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (खंड 1) में। महाराष्ट्र सरकार।
- अंबेडकर, बी. आर. (1957/2011). बुद्ध और उनका धम्म (The Buddha and his Dhamma). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (खंड 11) में। महाराष्ट्र सरकार।
- अंबेडकर, बी. आर. (1949, 25 नवंबर). संविधान सभा में भाषण। संविधान सभा की बहस, खंड XI।
- अंबेडकर, बी. आर. (2014). डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर: लेखन और भाषण (कई खंड)। महाराष्ट्र सरकार।
- जाफ़्रेलॉट, सी. (2005). डॉ. अंबेडकर और अस्पृश्यता: जाति का विश्लेषण और संघर्ष (Dr Ambedkar and untouchability: Analysing and fighting caste). परमानेंट ब्लैक।
- कीर, डी. (1954). डॉ. अंबेडकर: जीवन और मिशन (Dr. Ambedkar: Life and mission). पॉपुलर प्रकाशन।

- ओमवेड्ट, जी. (2004). अंबेडकर: एक प्रबुद्ध भारत की ओर (Ambedkar: Towards an enlightened India). पेंगुइन बुक्स इंडिया।
- रोड्रिग्स, वी. (संपादक). (2002). बी. आर. अंबेडकर की महत्वपूर्ण रचनाएँ (The essential writings of B. R. Ambedkar). ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- ज़ेलियट, ई. (1992). अस्पृश्य से दलित तक: अंबेडकर आंदोलन पर निबंध (From untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar movement). मनोहर।

Cite the Article:

यादव, अरविन्द कुमार , कुमार, डॉ. शैलेश . (2026). स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व: डॉ. भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद की दार्शनिक आधारभूमि. Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, 4(1) 202-208, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 04, Issue 01, September-2026., **DOI:** - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.22

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.